

राज्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में कृषिकरण कार्य के लिए प्रास्तावों की जाँच हेतु चेक लिस्ट:-

1. किसानों का समूह हों।
2. समूह में 10 या 10 से अधिक किसान हो।
3. समूह के पास कम से कम 2 हैक्टर भूमि, 15 किमी के दायरे में हों।
4. समूह के नाम से राष्ट्रीकृत/सहकारी बैंक में खाता हों। (पास बुक की छाया प्रति संलग्न करे।)
5. समूह जहाँ संचालित है उसी स्थान पर समूह का कार्यालय हों।
6. समूह में सदस्यों की बैठक कार्यवाही विवरण का रजिस्टर हो। (छाया प्रति संलग्न करे।)
7. समूह द्वारा औषधीय पौधों की खेती करने के निर्णय की प्रति, सदस्यों के आधार कार्ड नम्बर, मोबाईल नम्बर, पता भूमि की जिओ लोकेशन, भूमि की जमाबन्दी की छाया प्रति हो।
8. समूह को यदि पूर्व में बोर्ड द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ हो तो उसका विवरण निम्न प्रारूप में भरकर देना होगा:-

अनुदान प्राप्ति वर्ष	अनुदान राशि	स्वीकृत प्रजाति (हैक्टे.)	स्वीकृत राशि	उत्पादन	लाभ/हानि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति

9. समूह द्वारा 100 रूपयें का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जावे जिसमें समूह द्वारा बोर्ड के अलावा उस भूमि पर कृषिकरण हेतु अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लेने का उल्लेख हो।